पत्रांकः— 1997/न०नि० दिनांकः— 20.12.14

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर।

अल्पकालीन बन्दोबस्ती–आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंगेर जिलान्तर्गत महाल गिर्द किला तौजी नं0– 1333, खाता नं0– 317, खेसरा नं0–400 पर अवस्थित निम्नांकित सैरातों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 के एक वर्ष 01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित तिथि (क) दि0–29/12/2014 को 12.30 बजे अपराह्न से नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती न होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक	सैरातों का नाम	सुरक्षित जमा की गई राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	प्राईवेट बस पड़ाव	17,22,771=00	8,61,386=00	क– 29/12 /2014 ख– 30/12 /2014 ग– 31/12/2014 समय–अपराह्न 12.30 बजे से
02	प्राईवेट टैक्सी स्टैण्ड	19,49,850=00	9,74,925=00	क–29/12/2014 ख–30/12/2014 ग– 31/12/2014 समय–अपराह्न 12.30 बजे से

आवश्यक शर्त्ते

1. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के एक दिन पूर्व(रविवार अवकाश को छोड़कर) सुरक्षित जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के नाम से बैंक ड्राफ्ट, डाक की तिथि से एक दिन पूर्व रोकड़पाल के पास जमा करना होगा। डाक के दिन कोई नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को बकाया नहीं रहने का प्रमाण–पत्र इस आशय का शपथ–पत्र जमा करना होगा।
3. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व जिला पदाधिकारी /आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
4. सफल डाक वक्ता की जमानत राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष राशि स्वीकृत डाक वक्ता को डाक के तुरंत बाद एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा, एवं असफल डाक वक्ताओं की जमानत राशि डाक के बाद वापस कर दी जाएगी।
5. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व आयकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
6. सभी तरह के विवादों का निपटारा नगर आयुक्त द्वारा ही मान्य होगा।
7. पूर्व से निर्धारित दर पर ही टॉल टैक्स वसूली करेगें जो निम्न प्रकार हैं–
   (क) बस/कोच/बड़ी गाड़ी – 80/– रूपये (अस्सी) प्रतिदिन
   (ख) टाटा/ मैक्सी – 50/– रूपये (पचास) प्रतिदिन
   (ग) ट्रेकर /जीप/टैम्पु – 30/– रूपये (तीस) प्रतिदिन
8. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय डाक को रद्द या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिड्यूल–1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।

(ह०) 15/12/14

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।